संख्या-494/2025-83-19-45सी०डी०/05

प्रेषक,

मनोज कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०
लखनऊ ।

(2) जिलाधिकारी/नियंत्रक,
समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद, उ०प्र० ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 05जून, 2025

विषय: चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित), डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित) एवं घटना नियंत्रण अधिकारी के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-10/2019/509/83-19-45सीडी/05, दिनांक 01.07.2019 एवं संख्या-593/83-19-45सीडी/05, दिनांक 13.08.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके माध्यम से नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित), डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित) एवं घटना नियंत्रण अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/नियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव (पैनल) एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा के अभिमत पर उपर्युक्त पदों पर तैनाती का निर्णय शासन स्तर से लिया जाता है तथा लिये गये निर्णयानुसार जिलाधिकारी/नियंत्रक द्वारा तैनाती के आदेश निर्गत किये जाते हैं ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासन के उक्त आदेश दिनांक 01.07.2019 एवं दिनांक 13.08.2019 में प्रावधानित व्यवस्था के स्थान पर अब कोर के चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित), डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन (आरक्षित) एवं घटना नियंत्रण अधिकारी के रिक्त पदों पर तैनाती जनपद स्तर से किये जाने हेतु तैनाती के अधिकार जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा को प्रतिनिधायन किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उप नियंत्रक, समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद, उ०प्र० ।

2- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।